25

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः– निरी/170/85–86/पार्ट–6/2008/927-1026 दिनांकः– 13-1-2009

समस्त प्रभाराधिकारी,
केन्दीय/जिला/उप कारागृह,
राजस्थान ।

:: परिपत्र ::

हाल ही में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में निरूद्ध एक बंदी ने दूसरे बंदी पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर देने का मामला प्रकाश में आया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि कारागार विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण कारागृह में तलाशी अभियान को गंभीरता से नहीं लेकर केवल मात्र खानापूर्ति कर इतिश्री समझते है ।

महानिदेशालय के परिपत्र क्रमांकः निरीक्षण/16926–17026 दिनांक 13.5.08 एवं परिपत्र क्रमांक निरीक्षण 17027–127 दिनांक 13.5.08 तक कमाक निरी/170/85–86/पार्ट–6/2008/47138–239 दिनांक 24.10.08 के तहत इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये जाने के बावजूद भी इनकी कडाई से पालना नहीं की जा रही है, जो सहनीय नहीं है ।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि कारागृहों पर सुचारू रूप से एवं गहनता से तलाशी अभियान जारी रखने के साथ–साथ प्रत्येक बंदी की बैरिक 15 दिन में बदली जावें तथा वार्ड भी माह में एक बार अवश्य बदला जावें, ताकि बंदियों तथा बैरिकों की पूर्ण तलाशी ली जा सकें ।

परिपत्र की पालना का विशेष ध्यान रखा जावें तथा परिपत्र की प्राप्ति रसीद स्वयं के हस्ताक्षरों से अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर